

बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा सत्र-(2025-26)

1967 में स्थापित 'बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय' आगरा का सर्वश्रेष्ठ महिला महाविद्यालय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा बी ग्रेड प्राप्त इस महाविद्यालय की गणना सम्पूर्ण प्रदेश के शीर्षस्थ महाविद्यालयों में की जाती है। शिक्षण स्तर, अनुशासन एवं पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों के आधार पर प्रदेश के शिक्षा जगत में महाविद्यालय का एक विशिष्ट स्थान है। संस्था का प्रमुख लक्ष्य प्रभावी, जीवनोपयोगी एवं सामयिक शिक्षा प्रदान कर महिलाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और उनमें समाज एवं राष्ट्र के प्रति दायित्व-बोध जाग्रत करना है। बौद्धिक उत्कृष्टता, नैतिक उन्नयन, स्वस्थ सौन्दर्य-चेतना तथा प्रासंगिक कार्यानुभव के माध्यम से समाज की उत्पादकता में वृद्धि महाविद्यालय के विविधपक्षीय लक्ष्य बिन्दु हैं।

महाविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के निर्माण के लिये संकल्पबद्ध है जिनमें राष्ट्र के प्रति, आम आदमी के प्रति तथा दलित वर्ग के प्रति वचनबद्धता हो, जो शिक्षा को आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय गरिमा, मानवाधिकारों की स्थापना और संरक्षण का एक शक्तिशाली माध्यम मानें, जिससे विषमताविहीन समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके। महाविद्यालय इन मूल्यों और प्रवृत्तियों का समावेश अपने विद्यार्थियों में करना चाहता है और इसके लिये निरन्तर प्रयासरत है।

बिजलीघर बस-स्टैंड के समीप ग्वालियर मार्ग एवं औलिया मार्ग के सन्धि-स्थल पर स्थित महाविद्यालय नगर के सभी मुख्य मार्गों से नगर-बस सेवा द्वारा सम्बद्ध है।

महाविद्यालय में कला, ललितकला, विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय एवं वाणिज्य संकाय के 21 पाठ्य-विषयों में स्नातक स्तर पर तथा 11 पाठ्य-विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है। स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी.कॉम., एम.ए. गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, बी.बी.ए. व एम.कॉम की कक्षाएँ संचालित हैं। खेलकूद एवं अनेक शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों की दिशा में भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। परिसर में ही बाहर की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्मित है।

स्नातक प्रथम वर्ष में उपलब्ध सीटें

पाठ्यक्रम	सीटें
बी.ए.	640
बी.कॉम.	160
बी.एससी.	90
बी.बी.ए.	60
बी.एड.	50
बी.एससी. इन टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी	60

B.Sc. in Tourism and Hospitality

अधिक जानकारी के लिए www.bdkmvagra.co.in पर लॉग इन करें।

अध्ययन-विषय एवं पाठ्यक्रम

सम्प्रति महाविद्यालय के कला, विज्ञान, शिक्षा एवं वाणिज्य संकाय बिजनेस मेनेजमेण्ट में उपलब्ध पाठ्य-विषय इस प्रकार हैं -

नोट: 1. बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी. प्रथम वर्ष में नई शिक्षा नीति के अनुसार ही विषयों का आवंटन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये कॉलेज की वेब साइट का अवलोकन करें।

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर के लिए विषय चयन के निर्देश:

- (1) महाविद्यालय के संकायों में से दो विषय मेजर (Major) के अन्तर्गत लेने हैं।
- (2) इसके अतिरिक्त एक विषय माइनर (Minor) में तथा एक Co-Curriculum में लेना होगा।
- (3) एक विषय वोकेशनल पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सेमिस्टर में लेना होगा।

निम्न में से संकाय तथा विषय का चयन करें।

Subjects of Faculty of Humanities	<u>Theory:</u> 1. Economics 2. History 3. Sociology 4. Political Science 5. Hindi 6. English 7. Urdu 8. Sanskrit <u>Practical:</u> 9. Home Science 10. Physical Education 11. Psychology 12. Education 13. Drawing & Painting
--------------------------------------	---

	14. Music Vocal 15. Music Instrument, Sitar 16. Music Instrument, Tabla
Subjects of Science	1. Zoology 2. Botany 3. Chemistry B.Sc. in Hospitality and Tourism
Subjects of Commerce	1. B.Com. 2. B.B.A.
Compulsory Subjects	Co-curricular Vocational

- नोट : 1. सैद्धान्तिक विषयों में 55x प्राप्तांक होने पर नया विषय दिया जा सकेगा।
2. चयनित विषय अत्यन्त सावधानी से भरें। समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद चयनित विषयों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपनी मर्जी से कोई छात्रा प्रवेश लेने के बाद विषय बदलती है तो समस्त उत्तरदायित्व छात्रा का होगा।

एम.ए. पूर्वाह्न के नियम नई शिक्षा नीति के अनुसार तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार होंगे।

परास्नातक में उपलब्ध सीटें :

- | | |
|--|----|
| 1. अंग्रेजी | 80 |
| 2. हिन्दी | 80 |
| 3. संस्कृत | 80 |
| 4. मनोविज्ञान | 20 |
| 5. चित्रकला | 20 |
| 6. संगीत गायन | 20 |
| 7. गृहविज्ञान (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत) | 30 |
| 8. अर्थशास्त्र (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत) | 30 |
| 9. समाजशास्त्र (स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत) | 60 |

एम.एड. : 32

एम.कॉम. : 60

पीएच. डी.:

महाविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य, कला एवं संगीत में शोध कार्य कराया जा रहा है। सभी स्तरों पर उच्च शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त छात्रा/महिला अभ्यर्थी को ही शोध हेतु प्रवेश दिया जाता है। शोधार्थी छात्रा को प्रवेश के समय शोध विषय की रूपरेखा की एक प्रति जमा कराना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर अनुमोदन-पत्र की एक प्रति भी महाविद्यालय में जमा करानी होगी।

सर्टिफिकेट कोर्स :-

महाविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए प्रस्तावित सर्टिफिकेट कोर्स-

1. English for Developing Soft Skills- English Deptt.
2. Communication Skills and Personality Development- English Deptt.
3. Textile Designing- Home Science Deptt.
4. Free Hand Painting- चित्रकला विभाग
5. हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण हिन्दी विभाग

महत्त्वपूर्ण सेन्टर-

1. **स्टडी सेन्टर-** महाविद्यालय में स्टडी सेन्टर के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- NET (JRF), TGT, PGT, सिविल परीक्षाओं की तैयारी हेतु अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाती हैं।
2. **रिसर्च सेन्टर-** महाविद्यालय में शोध को प्रोत्साहित करने हेतु रिसर्च सेन्टर भी चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत छात्राओं को शोध प्रविधि, शोध के महत्त्व तथा नवीन क्षेत्रों में शोध करने के लिए छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रत्येक अभ्यर्थी को सूच्य है कि वह **प्रवेश लेने की अवधि में** अपने पास कोई एक मोबाइल जिसका नम्बर वर्तमान में चालू हो तथा जिस पर छात्रा की अपनी email-ID पर संदेश या OTP भेजे जाने पर छात्रा को तुरन्त संदेश मिल जाए, अपने स्वयं के पास हर समय उपलब्ध होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। सभी अभ्यर्थी छात्राओं से अपेक्षित है कि अपने से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं बहुत सावधानी से सही-सही भरना सुनिश्चित करें।

नोट: (1) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.ac.in के द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेगी। प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रवेश के समय सभी भारांक और आरक्षण विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली 2025-26 के अनुसार दिए जाएंगे।

महाविद्यालय की प्रवेश-नियमावली

1. प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ विवरणिका एवं पंजीकरण शुल्क ऑन लाइन 400/- रुपये जमा करना होगा जो कि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
2. विवरणिका में दिये गये विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली के अनुसार सभी कक्षाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। सभी अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करके अपलोड करें तथा सत्यापन हेतु निश्चित की गई तिथि पर महाविद्यालय में उपस्थित हों।
3. बीए, बीकॉम/बीएससी, एमए, एमकॉम में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Samarth Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे वं इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश Four Year Under Graduate Programme (FYUP) के अनुरूप होंगे। बी0बी0ए0 पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है।
4. प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एग्जिस्टिंसिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।
5. विद्यार्थियों को प्रवेश के समय बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकती है।
6. यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रद्द कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।
7. विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों का यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं

- द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma पद Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
8. विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित हैं। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
9. विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।
10. किसी पाठ्यक्रम संरचना Course Module के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषय सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।
11. बी0ए0/बी0कॉम0 के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
12. **अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)**
शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग **17 अंकों से अधिक नहीं होगा।**
- स्नातक कक्षाएँ :
1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-

(क) प्रथम विजेता होने के लिये -	5 अंक
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिये -	4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिये -	3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिये -	2 अंक
- (06)

14. सभी कक्षार्थ:-

1. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान व विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्री /पुत्र तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्री /पुत्र ।

17 अंक

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ।

10 अंक

15. गत संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र भी प्रवेश के समय ही जमा कराया जाना अनिवार्य है ।

16. अन्य विश्वविद्यालय से आने वाली छात्राओं को प्रवास प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा । तभी उनका प्रवेश स्थायी माना जायेगा ।

17. चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु सूचना भेजी जायेगी । तथा वेबसाइट पर अपलोड होगी । अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट चैक करती रहे, अन्यथा की स्थिति समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा ।

18. उपर्युक्त समस्त नियमों के अतिरिक्त डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की प्रवेश-नियमावली में उल्लिखित नियम सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु लागू होंगे ।

19. प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश क्रमानुसार एक क्रम संख्या प्रदान की जायेगी जो उसकी शुल्क रसीद पर अंकित रहेगी । इसी के आधार पर उसे अपने वर्ग व समय सारिणी आदि की सूचना मिलेगी । अतः इसे याद रखना एवं सन्दर्भित करना आवश्यक है ।

20. प्रत्येक संकाय के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना होगा । एक संकाय के लिए भरा गया आवेदन पत्र दूसरे संकाय में स्थानान्तरित नहीं होगा ।

नोट : 1. अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2. प्रवेश सम्बन्धी समस्त विवरण कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जायेगा ।

3. आवेदन-पत्र जमा हो जाने के बाद कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट dbrau.ac.in पर लॉगिन करें ।

प्रवेश के समय देय शुल्क

कला एवं विज्ञान संकायों के लिए 12 मास का शुल्क

क्र. सं.	मद	स्नातक कक्षायेँ रुपये	स्नातकोत्तर कक्षायेँ रुपये
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2.	पंजीकरण शुल्क	25.00	25.00
3.	पुस्तकालय एवं रीडिंग रूम शुल्क	30.00	38.00
4.	मँहगाई शुल्क	42.00	42.00
5.	विकास शुल्क	30.00	30.00
6.	क्रीड़ा शुल्क	400.00	400.00
7.	परिचय-पत्र शुल्क	8.00	8.00
8.	पंखा शुल्क	12.00	12.00
9.	ग्रीष्म-शीत शुल्क	24.00	24.00
10.	छात्र सहायता शुल्क	12.00	12.00
11.	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00
12.	छात्र कल्याण शुल्क	12.00	12.00
13.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
14.	वार्षिकोत्सव व दीक्षांत समारोह शुल्क	6.00	6.00
15.	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00
16.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	125.00	125.00
17.	बिजली शुल्क	150.00	150.00
18.	वोकेशन कोर्स शुल्क	250.00	प्रति सेमिस्टर
19.	रोबर्स रेन्जर्स शुल्क	50.00	50.00
20.	Incubation/ICT	200.00	200.00
	योग	1471.00	वि.वि. द्वारा निर्धारित नियमानुसार

कला एवं विज्ञान संकायों के लिये विशेष शुल्क

क्र. सं.	मद	स्नातक कक्षायेँ रुपये	स्नातकोत्तर कक्षायेँ रुपये
1.	पुस्तकालय प्रासंगिक शुल्क	20.00	20.00
2.	प्रासंगिक शुल्क (प्रयोगात्मक)	25.00 कला	50.00
	प्रति विषय	35.00 विज्ञान	50.00
3.	प्रयोगात्मक विषय-शुल्क		
	(अ) शारीरिक शिक्षा	240.00	–
	(ब) शिक्षाशास्त्र	240.00	–
	(स) मनोविज्ञान	240.00	240.00
	(द) संगीत गायन	240.00	240.00
	(य) संगीत वादन	–	240.00
	(र) कला	240.00	240.00
	(ल) गृह विज्ञान	240.00	–
	(व) विज्ञान	720.00	–
4.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300.00	300.00
5.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (अ) वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है।	1600.00	4000.00
6.	पुनः प्रवेश शुल्क	2.00	2.00
7.	स्थानान्तरण शुल्क	2.00	2.00
8.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50.00	50.00
9.	डिग्री शुल्क	300.00	300.00

शिक्षा संकाय के लिये 12 मास का शुल्क

क्र.	मद	बी.एड. कक्षायेँ	एम.एड. कक्षायेँ
1.	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2.	पंजीकरण शुल्क	25.00	25.00
3.	पुस्तकालय शुल्क	30.00	38.00
4.	मँहगाई शुल्क	42.00	42.00
5.	विकास शुल्क	30.00	30.00
6.	क्रीड़ा शुल्क	400.00	400.00
7.	परिचय-पत्र शुल्क	8.00	8.00
8.	पंखा शुल्क	12.00	12.00
9.	ग्रीष्म-शीत शुल्क	24.00	24.00
10.	छात्र सहायता शुल्क	12.00	12.00
11.	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00
12.	छात्र कल्याण शुल्क	18.00	18.00
13.	चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
14.	वार्षिकोत्सव व दीक्षांत समारोह शुल्क	6.00	6.00
15.	गर्ल्स गाइडिंग	30.00	-
16.	बिजली शुल्क	150.00	150.00
17.	कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क	30.00	30.00
18.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	125.00	125.00
19.	रोबर एण्ड रेन्जर	50.00	50.00
20.	Incubation/ICT	200.00	200.00
	योग	1257.00	1235.00

शिक्षा संकाय के लिये विशेष शुल्क

क्र. सं.	मद	बी.एड. कक्षायें रुपये	एम.एड. कक्षायें रुपये
1.	पुस्तकालय प्रासंगिक शुल्क	20.00	20.00
2.	प्रयोगात्मक शुल्क	600.00	1000.00
3.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	4000.00	8500.00
4.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300.00	300.00
5.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50.00	50.00
	शोध शुल्क	1200.00 रुपये वार्षिक	
	*NCTE - 1995		

प्रवेश के समय देय शुल्क का पूर्ण योग

कक्षा	प्रयोगात्मक विषय रहित	एक प्रयोगात्मक विषय सहित	दो प्रयोगात्मक विषय सहित	दो प्रयोगात्मक विषय सहित
बी.ए. प्रथम I,II सेमेस्टर	3916.00	4181.00	4446.00	4711.00
बी.ए. द्वितीय III,IV सेमेस्टर	3741.00	4006.00	4271.00	4536.00
बी.ए. तृतीय V,VI सेमेस्टर	3541.00	3806.00	4071.00	4336.00
बी.ए.सी. प्रथम I,II सेमेस्टर	4741.00			
बी.ए.सी. द्वितीय III,IV सेमेस्टर	4566.00			
बी.ए.सी. तृतीय V,VI सेमेस्टर	4366.00			
एम.ए. पूर्वाद्ध हिन्दी/अंग्रेजी/ संस्कृत	5224.00			
एम.ए. पूर्वाद्ध ड्राइंग/मनोविज्ञान/	5514.00			
संगीत गायन I,II सेमेस्टर	5514.00			
एम.ए. उत्तराद्ध हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	5949.00			
एम.ए. उत्तराद्ध मनोविज्ञान/ड्राइंग/	6239.00			
संगीत गायन	6239.00			
बी.एड.	6277.00			
एम.एड. एक वर्ष	10230.00			

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत

(अ) बी.कॉम. संकाय के लिये 12 मास का शुल्क

कक्षा	बी.कॉम I, II Semester	बी.कॉम III, IV Semester	बी.कॉम V, VI Semester
बी. कॉम	10000	9070	9070

- (ब) एम.ए. अर्थशास्त्र पूर्वाद्ध / उत्तराद्ध 11070/- प्रतिवर्ष
 (स) गृहविज्ञान पूर्वाद्ध/ उत्तराद्ध 15000/- प्रतिवर्ष
 (द) बी.बी.ए. 15690/- प्रथम सेमिस्टर, अन्य सेमिस्टर 15000/- प्रति सेमिस्टर
 (य) एम.ए. समाजशास्त्र पूर्वाद्ध/उत्तराद्ध 12500/- प्रतिवर्ष
 (र) एम.कॉम. समाजशास्त्र पूर्वाद्ध/उत्तराद्ध 12500/- प्रतिवर्ष

उपस्थिति

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय में न्यूनतम उपस्थिति 75% निर्धारित है। छात्राओं को अपनी सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना है। इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. दैनिक प्रार्थना-सभा, छात्रा हित में आयोजित विभिन्न पाठ्येतर कार्यक्रमों, आंतरिक परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पर्वों पर छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

अनुशासन

महाविद्यालय में उच्चस्तरीय अनुशासन व्यवस्था व पारस्परिक सद्भाव का वातावरण बनाये रखने के लिये अनुशासन समिति गठित है। अनुशासन सम्बन्धी कुछ आवश्यक नियम इस प्रकार हैं—

1. महाविद्यालय की सभी छात्राओं को प्रतिदिन यूनिफार्म में आना अनिवार्य है। यूनिफार्म के लिये सिलेटी रंग का कुर्ता (बॉम्बे डाईंग का शेड नं. 96) सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा निर्धारित है। कुर्ते के लिये बॉम्बे डाईंग का शेड नं. 96 ही खरीदें, जिससे यूनिफार्म में एकरूपता बनी रहे। सर्दी में काले रंग का स्वेटर यूनिफॉर्म हेतु निर्धारित है।
2. छात्रायें महाविद्यालय प्रांगण तथा महाविद्यालय के बाहर व्यवहार सुशील व अनुशासित रखें।
3. प्राचार्य की अनुमति के बिना सूचना-पट्ट, महाविद्यालय के मुख्य द्वार व दीवारों पर कोई भी सूचना, विज्ञापन अथवा समाचार-पत्र के उद्धरण लगाना निषिद्ध है।
4. महाविद्यालय आने पर कोई भी छात्रा निर्धारित समय-सारिणी के मध्य बिना लिखित अनुमति के बाहर नहीं जायेगी।
5. जो छात्रायें कॉलेज में अनुशासनहीनता करती हुई पायी जायेंगी, उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी सत्र में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करती पाई जाने वाली छात्राओं को भी आगामी सत्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परिसर में मोबाइल फोन बन्द रहेगा। महाविद्यालय में मोबाइल चलाने वाली छात्रा को नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्रा को प्रति वर्ष एक सत्र के लिये परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है। परिचय-पत्र छात्रा को सदैव अपने पास रखना है। उन सभी स्थानों पर जहाँ-जहाँ छात्रा उपस्थित

होने का अधिकार रखती है, विशेषतः व्याख्यानकक्ष, पुस्तकालय व परीक्षा-भवन में परिचय-पत्र निरीक्षण हेतु उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। परिचय-पत्र खो जाने पर शिक्षिका की संस्तुति पर 50/- रुपये देने पर ही इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

छात्र-सेवाएं

1. **अभिस्थापन सेवा** : नवागत छात्राओं को महाविद्यालय के लक्ष्य एवं परम्पराओं का बोध कराने तथा यहाँ आयोजित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों से परिचय के उद्देश्य से सत्र के प्रारम्भ में महाविद्यालय के लिखित, अलिखित सभी प्रकार के नियमों से अवगत कराया जाता है।
2. **छात्र-कल्याण समिति** : प्रतिभासम्पन्न एवं आवश्यकताग्रस्त छात्राओं की प्रत्येक प्रकार से आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से गठित यह समिति छात्राओं के आवेदन-पत्रों पर पूर्ण विचार करके ही अपनी संस्तुति देती है। किन्तु महाविद्यालय में आयोजित आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने, अनुत्तीर्ण होने अथवा उपस्थिति अनियमित होने पर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।
3. **शिक्षकीय प्रवर्ग प्रणाली** : छात्राओं के व्यक्तिगत निर्देशनार्थ प्रति 100 छात्राओं का दायित्व प्राध्यापिका ट्यूटर पर रहता है जो अपनी रक्ष्य छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति हेतु संस्तुति देती है तथा महाविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु परामर्श देती है।
4. **राष्ट्रीय सेवा योजना** : महाविद्यालय में एन.एस.एस. की तीन इकाइयाँ हैं। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय प्रांगण विकास, ग्रामोत्थान, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण व स्वास्थ्य-कल्याण आदि परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक सदस्यता के लिये दो सत्रों में 240 घण्टे कार्य करना अनिवार्य है। सत्र में दो शिविरों का आयोजन किया जाता है।
5. **खेलकूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण** : खेलकूद में अभिरुचि रखने वाली छात्राओं के लिये फुटबाल, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉलीबाल, बैडमिंटन, खो-खो व टेबिल टेनिस आदि खेलों तथा विभिन्न एथलेटिक्स में प्रशिक्षण की सुविधा है।
6. **छात्र-स्वशासन समिति** : छात्राओं की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं छात्र-सहभागिता के अवसर प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में छात्र स्वशासन समिति गठित है, जो चार शाखाओं में विभक्त है - शैक्षिक समिति, सांस्कृतिक

समिति, अलंकरण समिति एवं स्वेच्छा सेवा समिति। प्रत्येक छात्रा को इन चार समितियों में से कम से कम दो की सदस्यता लेनी होती है।

7. **एन.सी.सी.** : महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक इकाई संचालित है।
8. **रोबर्स रेन्जर्स योजना** : महाविद्यालय में दो यूनिट प्रत्येक यूनिट में 25-25 सदस्य होंगे।
9. **कैण्टीन** : जलपान की सुविधा हेतु महाविद्यालय में कैण्टीन की व्यवस्था है।
10. **साइकिल स्टैंड** : साइकिल, स्कूटर आदि द्वारा आने वाली छात्राओं के लिये निर्धारित शुल्क 50 रुपये प्रवेश के समय जमा करने पर ताला लगाकर अपनी साइकिल रखने की सुविधा है। बिना ताला लगी साइकिल का दायित्व कॉलेज का नहीं होगा।
11. **छात्रावास** : महाविद्यालय परिसर में ही निर्मित छात्रावास में 60 छात्राओं के आवास की व्यवस्था है। केवल वही छात्रायें छात्रावास में रह सकती हैं जो विधिवत् कॉलेज छात्रा हैं। छात्रावास में प्रवेश योग्यता के आधार पर होते हैं। छात्रावास नियमावली पर लिखित सहमति देना व छात्रावास प्रवेश आवेदन-पत्र भरकर देना अनिवार्य है।

नोट:- परास्नातक पाठ्यक्रम की छात्राएँ अपनी समस्याओं के लिए विभागाध्यक्षा से सम्पर्क करें।

पुस्तकालय

महाविद्यालय के सुसमृद्ध पुस्तकालय में स्वाध्याय हेतु उच्चकोटि की सामग्री का समुचित संकलन एवं वर्गीकरण है। पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में कई अनुभाग हैं तथा पृथक् से वाचनालय है। शोधकार्य हेतु शोध-कक्ष की व्यवस्था है।

सदस्यता परिचय-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक छात्रा को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा नामांकन प्रपत्र दिया जाता है, जिसे भरकर छात्रा ट्यूटर के द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पुस्तकालय में जमा कर देती है, तब उसे पाठक पत्रक (Reading Card) दिये जाते हैं। उन्हीं के आधार पर पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं।

पुस्तकालय के नियम

1. छात्राओं से अपेक्षित है कि पुस्तकालय से पुस्तकों की मांग कार्ड (कैटलॉग) का प्रयोग कर वांछित कॉल नम्बर आदि चिट पर लिखकर करें।
2. छात्रा को उसका पाठक-पत्रक लेकर एक सप्ताह के लिए पुस्तक दे दी जायेगी तथा पुस्तक लौटाने पर पत्रक पुनः छात्रा को दे दिया जायेगा।

3. पाठक-पत्रक खो जाने की सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को तुरन्त देनी चाहिए। पत्रक पुनः बनवाने के निमित्त छात्रा को 4 रुपये प्रति पत्रक देना होगा।
4. पुस्तक लेने से पूर्व छात्रा को पुस्तक के पृष्ठों का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर लेना चाहिये और उनमें कुछ कमी होने पर पुस्तकालयाध्यक्ष को उसी समय सूचित कर देना चाहिये अन्यथा बाद में पुस्तक-ग्रहीता को ही इस क्षति के लिये उत्तरदायी माना जायेगा।
5. निश्चित-समय के आगे पुस्तक रखने पर छात्रा से 12 रुपये प्रति पुस्तक प्रतिदिन दण्ड लिया जायेगा।
6. पुस्तक खो जाने पर छात्रा को पुस्तक का वर्तमान मूल्य देना होगा।

सन्दर्भ पुस्तकें : महाविद्यालय-पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर सूचना देने वाली सन्दर्भ पुस्तकें हैं, यथा शब्दकोष, विश्वकोष, वार्षिक पुस्तक, जीवनी, भू-चित्रावली तथा जर्नल्स आदि। इन्हें पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना है, ये घर के लिये नहीं दी जाती हैं। पुस्तकालय की पुस्तक अथवा पत्रिका को नष्ट करना एक निन्दनीय अपराध है इसके लिये छात्रा को अर्थदण्ड दिया जा सकता है। गम्भीर स्थिति में छात्रा की पुस्तकालय सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।

छात्रावास के नियम

1. छात्रावास में निवास हेतु छात्रा को महाविद्यालय से प्राप्त प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित सूचनायें भरकर देनी होंगी :
 - (अ) पिछली संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (ब) स्थानीय अभिभावक का नाम, पता तथा छात्रा से सम्बन्ध एवं अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित अधिकार पत्र।
2. छात्रायें निर्धारित समय पर ही अपने स्थानीय अभिभावक से मिल सकती हैं :

शीतकाल में :

 - (अ) बुधवार को सायं 3-5 बजे तक।
 - (ब) रविवार को प्रातः 11-02 बजे तक।

ग्रीष्मकाल में :

 - (अ) बुधवार को सायं 4-6 बजे तक
 - (ब) रविवार को प्रातः 10-01 बजे तक
3. स्थानीय अभिभावक के अतिरिक्त यदि कोई आगन्तुक छात्रा से मिलना चाहता है तो उसे छात्रा के पिता / अभिभावक का अधिकार-पत्र लाना अनिवार्य होगा।

4. छात्रा अपने स्थानीय अभिभावक के पास अथवा अन्य किसी कार्य से वार्डन / प्राचार्या की अनुमति के बिना नहीं जा सकती है।
5. बिजली के उपकरण जैसे-बिजली की प्रेस, हीटर, टोस्टर आदि का प्रयोग करना वर्जित है।
6. अभिभावक की लिखित सूचना तथा आवेदन-पत्र पर प्राचार्या / वार्डन की स्वीकृति के बिना छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
7. अपने कमरे के समस्त सामान की छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगी।
8. छात्रावास में कैमरा रखना वर्जित है।
9. छात्रावास का शुल्क विवरण :

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	वार्षिक
1.	कमरे का किराया + बिजली	16,000.00
2.	कटिन्जेन्सी	250.00
3.	खाना(खाने का शुल्क छः मास का है)	32,000.00
	कुल योग	48,250.00

10. छात्रावास में रहकर नियमित समय से कक्षाओं में जाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर, तीन बार गलती करने पर छात्रा को छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
11. छात्रावास में रहने वाली छात्रायें छात्रावास कैम्पस के गेट से ही निश्चित समय पर बाहर जा सकती हैं।
12. शैक्षिक सत्र समाप्ति पर तथा शीतावकाश में छात्रावास खाली करना अनिवार्य है। नये सत्र में छात्रावास में पुनः प्रवेश लेना होगा।
13. छात्रावास खाली करते समय छात्रायें अपने कमरे की अलमारियों की चाबियाँ वार्ड0/ प्राचार्या को जमा करें। ऐसा न करने पर छात्रायें अंक पत्र प्राप्त नहीं कर सकेंगी।
14. छात्रावास में रहकर कोचिंग कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं होगी।
15. महाविद्यालय छात्रावास समिति के द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय अनिवार्य रूप से मान्य होंगे।

अनुशासन समिति 2025-26

क्र.सं.	नाम	पद
1.	प्रो० अनुपम सक्सैना	चीफ प्रोक्टर
2.	प्रो० पूनम रानी गुप्ता	प्रोक्टर
3.	प्रो० बिन्दु अवस्थी	प्रोक्टर
4.	प्रो० पूनम शर्मा	प्रोक्टर
5.	प्रो० सुनीता चौहान	प्रोक्टर
6.	प्रो० गुन्जन	प्रोक्टर
7.	डॉ० कंचन गुप्ता	प्रोक्टर
8.	डॉ० एकता	प्रोक्टर
9.	डॉ० शैलजा मिश्रा	प्रोक्टर
10.	डॉ० वन्दना कौशिक	प्रोक्टर
11.	डॉ० रेखा सिंह	प्रोक्टर
12.	डॉ० अपर्णा शुक्ला	प्रोक्टर
13.	श्रीमती प्रीति शाक्य	प्रोक्टर
14.	श्रीमती सपना देवी यादव	प्रोक्टर
15.	डॉ० कामना धवन	प्रोक्टर
16.	डॉ० टिंकल गोयल	प्रोक्टर

2025-26 समितियाँ
प्रवेश समिति समन्वयक एवं सदस्य

1. प्रो० पूनम शर्मा - समन्वयक
2. डॉ० एकता - सदस्य
3. डॉ० वन्दना कौशिक
4. डॉ० शैलजा मिश्रा
5. श्रीमती शालनी
6. डॉ० रीना
7. सुश्री० मोनिका वर्मा

छात्रवृत्ति समिति सदस्य

1. सुश्री मोनिका (ओ.बी.सी.)
2. श्रीमती रशिदी रुकईया (अल्पसंख्यक)
3. श्रीमती लवी जायसवाल (एस.सी.)
4. श्रीमती मनोरमा राय (सामान्य)

प्राध्यापिका - सूची
प्राचार्या-डॉ. पूनम सिंह (एम.ए., पीएच.डी.)

शिक्षा संकाय

1. प्रो. सुनीता चौहान, एम.ए., एम.एड., एम.फिल., पीएच.डी.
2. श्रीमती राजवाला, एम.ए. (साइको), एम.ए. (हिन्दी), एम.एड.
3. श्रीमती संगीता त्यागी, एम.एससी., एम.फिल.
4. डॉ. सपना देवी, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी. (इतिहास)
5. श्रीमती नीतू गौतम, एम.एड.
6. डॉ. मनीषा, एम.एससी., एम.एड., एम.फिल., पीएच.डी.
7. श्रीमती राशिदी रुकईया, एम.एससी., एम.एड.
8. डॉ. प्रीति शाक्य, एम.ए., पीएच.डी.

कला संकाय

1. **संस्कृत**
 1. डॉ. श्रीमती रेखा सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
 2. रिक्त
2. **हिन्दी**
 1. प्रो. गुंजन एम.ए., पीएच.डी.
 2. डॉ. कंचन गुप्ता, एम.ए., पीएच.डी.
 3. श्रीमती सीमा, एम.ए.
 4. श्रीमती मनोरमा राय, एम.ए.
 5. रिक्त
3. **अंग्रेजी**
 1. प्रो. पूनम रानी गुप्ता, एम.ए., बी.एड., पीएच.डी., डी.लिट्.
 2. डॉ. मीरा सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
 3. श्रीमती शालिनी, एम.ए.
 4. सुश्री नेहा, एम.ए.
 5. डॉ. ज्योति कुशवाहा, एम.ए., पीएच.डी.
 6. सुश्री प्राची सिंह, एम.ए.

4. **उर्दू**
 1. रिक्त
5. **मनोविज्ञान**
 1. श्रीमती राधा सिंह, एम.ए.
 2. रिक्त
 3. रिक्त
6. **अर्थशास्त्र**
 1. प्रो. पूनम शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
 2. श्रीमती गरिमा, एम.ए., बी.एड., एम.फिल.
 3. रिक्त
7. **समाज-शास्त्र**
 1. डॉ. एकता, एम.ए., पीएच.डी.
 2. डॉ. विजयलक्ष्मी शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
 3. डॉ. अंशिका आर्थर, एम.ए., पीएच.डी.
 4. सुश्री मोनिका वर्मा, एम.ए., बी.एड., एम.फिल.
 5. डॉ. सुनीता (स्ववित्तपोषित), एम.फिल., पीएच.डी.
8. **राजनीतिशास्त्र**
 1. डॉ. रीना, एम.ए., पीएच.डी.
 2. डॉ. सरिता देवी, एम.ए., पीएच.डी.
 3. सुश्री प्रियंका सिंह, एम.ए.
9. **इतिहास**
 1. रिक्त
 2. रिक्त
10. **शिक्षाशास्त्र**
 1. डॉ. श्रीमती वंदना कौशिक, एम.एससी., एम.एड., पीएच.डी.
 2. रिक्त
11. **गृह विज्ञान**
 1. रिक्त
 2. रिक्त
 3. डॉ. विधु अग्रवाल (स्ववित्तपोषित)
 4. डॉ. अनुपम सक्सेना (स्ववित्तपोषित) पीएच.डी.

12. **वाणिज्य विभाग - (स्ववित्तपोषित)**
1. डॉ. कामना धवन, पीएच.डी.
 2. डॉ. शिखा जैन, पीएच.डी.
 3. डॉ. श्वेता चाहर, पीएच.डी.
 4. डॉ. हिना, पीएच.डी.
13. **व्यावसायिक प्रबन्धन - (स्ववित्तपोषित)**
1. डॉ. मोहिता गर्ग, एम.बी.ए.

ललित कला संकाय

1. **चित्र कला**
 1. प्रो. बिन्दु अवस्थी, एम.ए., पीएच.डी.
 2. डॉ. सविता प्रसाद, एम.ए., पीएच.डी.
 3. श्रीमती विनीता गुप्ता, एम.ए.
2. **संगीत गायन**
 1. डॉ. शैलजा मिश्रा, एम.ए., पीएच.डी.
 2. रिक्त
 3. रिक्त
3. **संगीत वादन-सितार**
 1. डॉ. कृष्णा बाला सिंह, एम.म्यूजिकोलॉजी, पीएच.डी.
4. **संगीत वादन-तबला**
 1. रिक्त

विज्ञान संकाय

1. **जन्तु विज्ञान**
 1. डॉ. अपर्णा शुक्ला, एम.एससी., बी.एड., एम.फिल., पीएच.डी.
 2. श्रीमती लवी जायसवाल, एम.एससी.
2. **वनस्पति विज्ञान**
 1. सुश्री सपना मिश्रा, एम.एससी.
 2. रिक्त
 3. रिक्त

3. रसायन विज्ञान

1. प्रो. नीलम वर्मा, एम.एससी., पीएच.डी.
2. रिक्त

4. शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता

1. प्रो. अनुपम सक्सेना, एम.पी.एड. पीएच.डी.
2. रिक्त

प्रयोगशाला सहायक

1. डॉ. (श्रीमती) ममता अग्रवाल, एम.ए., बी.एड., पीएच.डी. (गृह विज्ञान विभाग)
2. श्रीमती प्रीति (चित्रकला विभाग)

पुस्तकालय - स्टॉफ

1. श्रीमती राजकुमारी गौड़, बी.एससी., बी.लिब. (पुस्तकालय लिपिक)

कार्यालय - स्टॉफ

1. रिक्त

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री बिजेन्द्र सिंह
2. श्री राम कुमार
3. श्री हरपाल
4. श्री शिवकुमार
5. श्रीमती उमादेवी आर्य
6. श्रीमती ममता
7. श्रीमती गायत्री
8. श्रीमती नीलम
9. श्रीमती जौली
10. श्री आकाशदीप
11. श्री विशाल शर्मा
12. श्री रवि माहौर